छुटकी और रोजगार गारंटी योजना

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक : समर्थन-सेंटर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट, भोपाल

प्रकाशन वर्ष : 2010

प्रथम संस्करण : 2000 प्रतियाँ

उचित स्वीकृति से सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

चित्रांकन एवं मुद्रण : एम.एस.पी. ऑफसेट, भोपाल

छुटकी - समर्थन की परिकल्पना है।

सहयोग -

यू.एन.डी.पी.,
नई दिल्ली

ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

छुटकी अपने मामा के गाँव से वापस
आई है वह बहुत खुश है। उसे वहाँ रोजगार
गारंटी कानून के बारे में बहुत सी जानकारियाँ
मिली हैं जो मजदूरों के फायदे की है।
जिसको, वह अपने गाँव के लोगों को
बताने के लिये उत्सुक है
ताकि काम की तलाश में कोई इधर-उधर न भटके।
छुटकी बहुत होशियार है.....
रेल स्टेशन

वह काका से मिलने पहुँची।
काका ये डेरा बिस्तर लिए कहाँ जाने की तैयारी है?
बेटा, हम रोजगार की तलाश में बाहर शहर जा रहे हैं।
पर शहर क्यों?
क्या बताएँ बिटिया, अब रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा न..
मैं समझी नहीं काका।

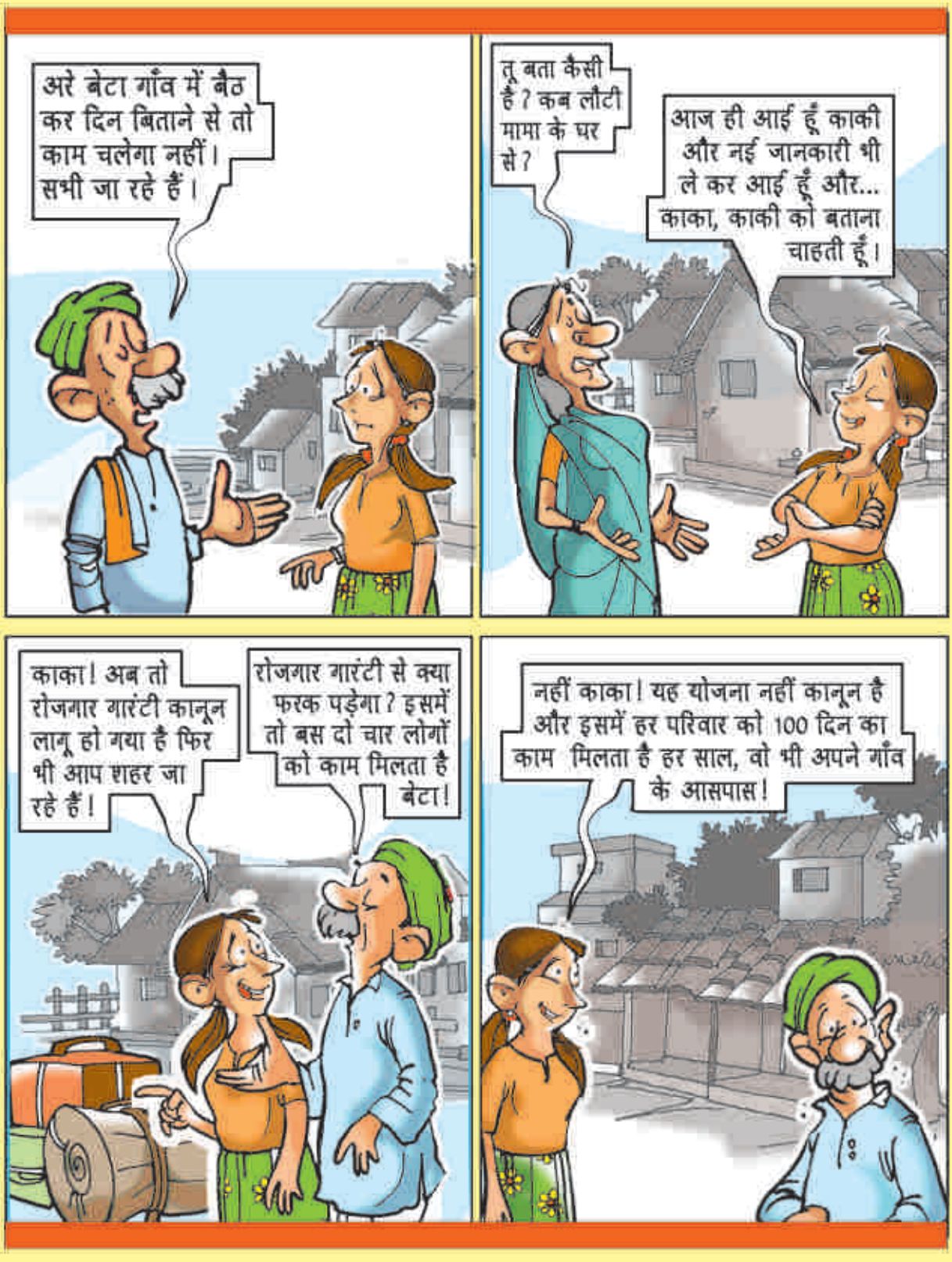
अरे बेटा गाँव में बैठ कर दिन बिताने से तो काम चलेगा नहीं। सभी जा रहे हैं।
तू बता कैसी है? कब लौटी मामा के घर से?
आज ही आई हूँ काकी और नई जानकारी भी ले कर आई हूँ और... काका, काकी को बताना चाहती हूँ।
काका! अब तो रोजगार गारंटी कानून लागू हो गया है फिर भी आप शहर जा रहे हैं!
रोजगार गारंटी से क्या फरक पड़ेगा? इसमें तो बस दो चार लोगों को काम मिलता है बेटा!
नहीं काका! यह योजना नहीं कानून है और इसमें हर परिवार को 100 दिन का काम मिलता है हर साल, वो भी अपने गाँव के आसपास!

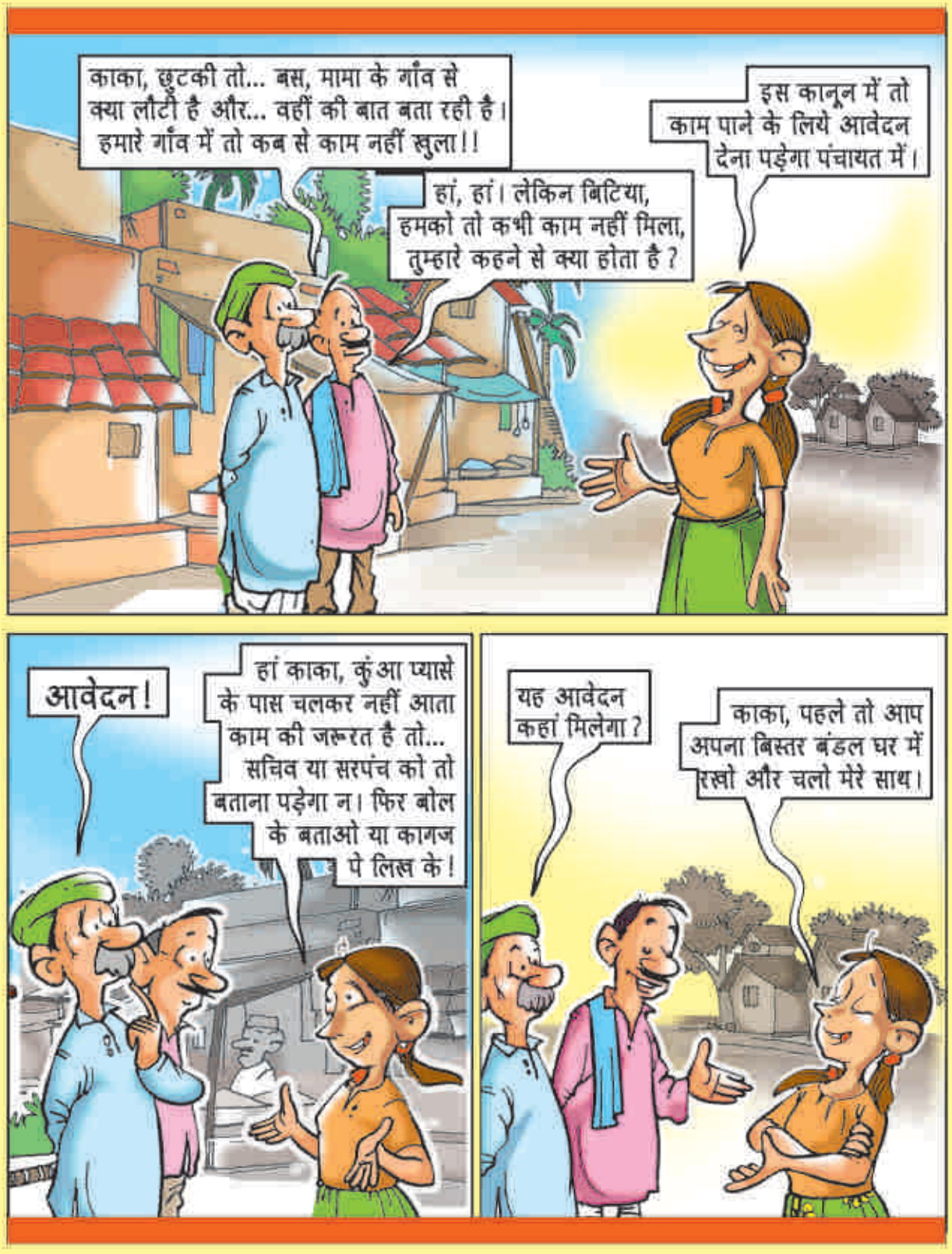
काका, छुटकी तो... बस, मामा के गाँव से क्या लौटी है और... वहीं की बात बता रही है। हमारे गाँव में तो कब से काम नहीं खुला!!
हां, हां। लेकिन बिटिया, हमको तो कभी काम नहीं मिला, तुम्हारे कहने से क्या होता है?
इस कानून में तो काम पाने के लिये आवेदन देना पड़ेगा पंचायत में।
आवेदन!
हां काका, कुंआ प्यासे के पास चलकर नहीं आता काम की जरूरत है तो... सचिव या सरपंच को तो बताना पड़ेगा न। फिर बोल के बताओ या कागज पे लिख के!
यह आवेदन कहां मिलेगा?
काका, पहले तो आप अपना बिस्तर बंडल घर में रखो और चलो मेरे साथ।

छुटकी, काका को लेकर पंचायत की ओर जाती है।
पंचायत में आवेदन मुफ्त में मिलता है... सबको
अगर आवेदन न मिले तो...?
छपा हुआ आवेदन न मिले तो सादे कागज पर लिखकर दे सकते हो।
अरे बिटिया हम तो पढ़े-लिखे नहीं है तब आवेदन कैसे लिखेंगे।
पंचायत का सचिव मदद करेगा लिखने में। ऐसा कानून में लिखा है
पंचायत भवन में...
पंचायत भवन

सचिव जी, जरा काका के लिये काम का आवेदन तो भरो।
अरे...! आवेदन की क्या ज़रूरत है, काम खुलेगा तब आ जाना काम पे।
काम खुलेगा तब नहीं, जब हम काम चाहेंगे तब काम मिलेगा।
अरे तुम लोग जाओ यहां से और मुझे अपना काम करने दो।
सुनो, आप आवेदन भर दो,नहीं तो हमें शिकायत करना पड़ेगी जनपद में, कार्यक्रम अधिकारी के पास।
अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बैठो... बैठो..., बताओ काका... कब से चाहिये काम?
सचिव आवेदन भरकर पावती देता है और छुटकी एवं विशंभर काका और सभी पंचायत से अपने घर की ओर वापस जाते हैं।
ये लो पावती...

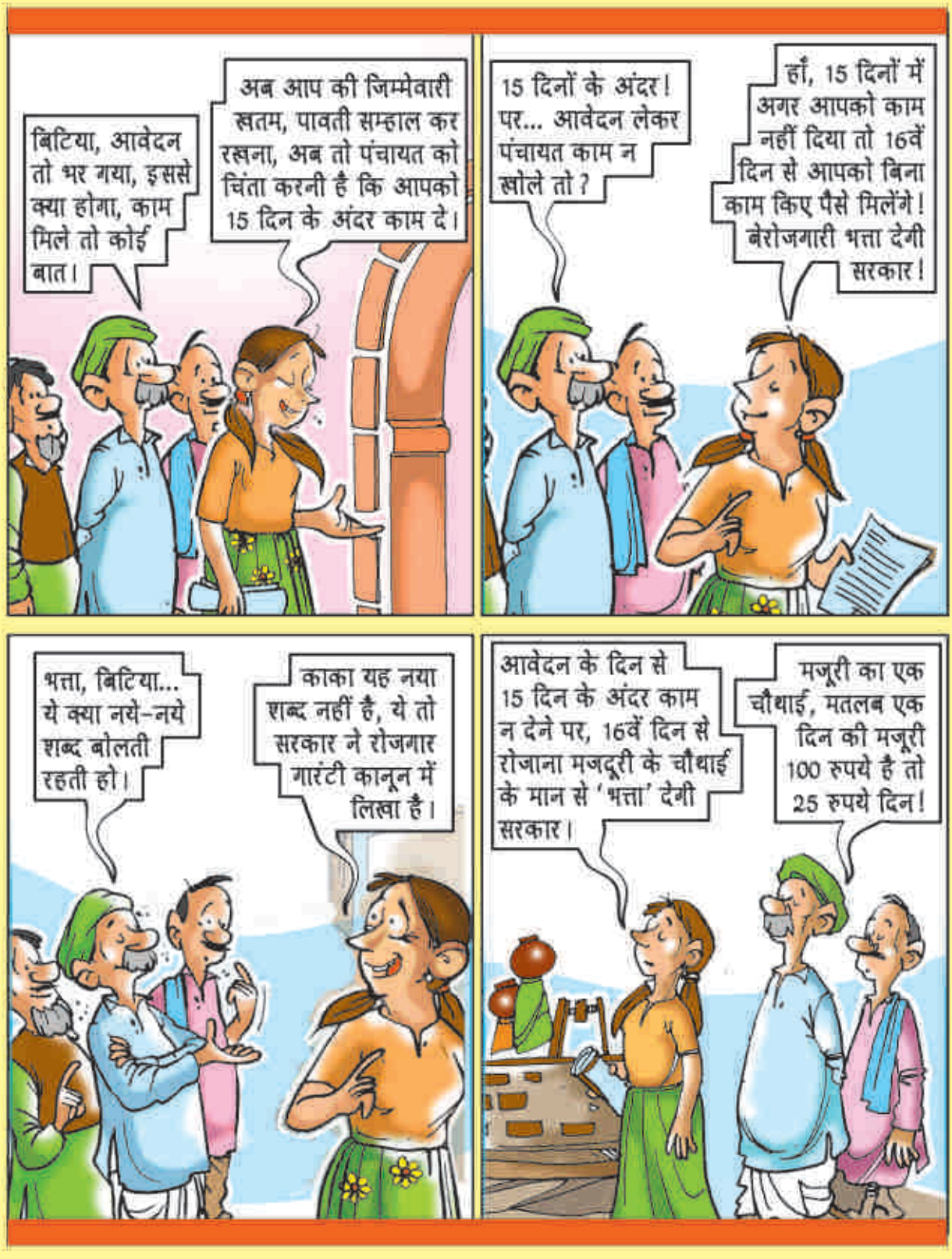
बिटिया, आवेदन तो भर गया, इससे क्या होगा, काम मिले तो कोई बात।
अब आप की जिम्मेवारी खतम, पावती सम्हाल कर रखना, अब तो पंचायत को चिंता करनी है कि आपको 15 दिन के अंदर काम दे।
15 दिनों के अंदर! पर... आवेदन लेकर पंचायत काम न खोले तो?
हाँ, 15 दिनों में अगर आपको काम नहीं दिया तो 16वें दिन से आपको बिना काम किए पैसे मिलेंगे! बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार!
भत्ता, बिटिया... ये क्या नये-नये शब्द बोलती रहती हो।
काका यह नया शब्द नहीं है, ये तो सरकार ने रोजगार गारंटी कानून में लिखा है।
आवेदन के दिन से 15 दिन के अंदर काम न देने पर, 16वें दिन से रोजाना मजदूरी के चौथाई के मान से 'भत्ता' देगी सरकार।
मजूरी का एक चौथाई, मतलब एक दिन की मजूरी 100 रुपये है तो 25 रुपये दिन!

ये तो अच्छा बताया बिटिया, लेकिन... भत्ता मिलेगा कैसे ?
हां, इतना ही नहीं, अगर फिर भी काम न मिला तो... 30 दिन बाद, मजूरी का आधा भत्ते के हकदार होंगे आप।
छुटकी बिटिया, क्या आवेदन करने में कोई खर्चा लगेगा ?
इसके लिये सचिव से मिली पावती के साथ, जनपद में कार्यक्रम अधिकारी माने सीईओ साब को आवेदन देकर भत्ते का पैसा देने की मांग करना पड़ेगी।
अगर जनपद कार्यालय में सुनवाई नहीं हुई तो...
नहीं ,काका इसमें कोई खर्चा नहीं होता कोई पैसा नहीं लगेगा...
तो... हम जिला पंचायत के सीईओ साब या कलेक्टर साब को और जिले में न सुने तो राज्य या उससे आगे केन्द्र सरकार को शिकायत भेज सकते हैं। काका, अब तो कम्प्यूटर से यानि इंटरनेट से तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब तो सरकार ने हर गाँव में मनरेगा में किये गये काम की जानकारी इंटरनेट पर भी दे दी है।

बिटिया तुमने तो हमारी आंखें खोल दीं, अब तो हमें काम के लिये गाँव छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है।
अच्छा, और क्या... जानकारी लेकर आई है बिटिया, जरा बता तो...
काका, महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना गाँव के मजदूर, महिला दलित, आदिवासी किसानों के हित में बनाई गई है
सामने से रहमान चाचा आते हैं
चाचा, आज सुबह-सुबह कहाँ निकल लिए...
अरे बेटा हम विशंभर से ही मिलने आ रहे थे। विशंभर कब जा रहे हो शहर?
अरे रहमान चाचा आप भी शहर जा रहे हैं।
क्या करें बेटा, पानी नहीं होने से खेती बाड़ी सब सूख गई। अब तो शहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है..

काका, आपका नाम तो गरीबी-रेखा की सूची में है न?
हाँ..., पर गरीबी रेखा का तुम्हारी इस योजना से क्या लेना-देना।
काका, जिनको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है या एक-दो एकड़ जमीन वाले आदिवासी और दलित परिवार या फिर गरीबी रेखा की सूची वाले परिवारों को इसकी उपयोजनाओं का लाभ भी मिलता है।
गरीबी रेखा की सूची में नाम न हो और आदिवासी या दलित भी न हो तो लाभ नहीं मिलेगा?
नहीं चाचा, अब तो सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को भी लाभ देने का नियम बना दिया है।
बिटिया, योजना तो खूब सुनी है पर उपयोजना कौन चिड़िया का नाम है?
उपयोजनायें तो बहुत हैं उनसे आपको क्या लेना.. रोजगार गारंटी की उपयोजना में गरीब आदिवासी, दलित और छोटे किसानों की निजी जमीन पर भी काम कराए जा सकते हैं।

कौन से काम बेटा ?
जैसे छोटे तालाब, कुएँ बनाना, भूमि सुधार करना फलों के बगीचे लगाने जैसे काम करवा सकते हैं।
हाँ और आपको अपने ही खेतों में काम कराने के लिये पैसा भी मिलेगा, जिसमें आप खुद और अन्य लोग मजदूरी कर सकते हैं।
अच्छा! ये तो हमें मालूम नहीं था अब तक।
हाँ और ये सब करके आप अच्छी तरह से खेती करने लगेंगे। तो फिर धीरे-धीरे मजदूरी करने की जरूरत भी कम हो जाएगी।
सच छुटकी, ऐसा हो सकता है ?
हाँ भैया, जरूर हो सकता है.अगर आप चाहो तो।
लेकिन ये फायदा मिलेगा कैसे ? ये तो गिने चुने लोगों को ही मिलेगा।

कैसी बात करते हो चाचा। अपने गाँव में ही ले लो, इस साल कोदू और लाला ने अपने खेत में कुआँ खुदवाया है।
इस योजना के बारे में हमें भी बताओ छुटकी। कैसे-कैसे काम होता है ?
हाँ हाँ बिटिया, आज तुम बता ही दो पूरी बात।
इस योजना / कानून में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में बैठकर पाँच साल और एक-एक साल की योजनायें बनाती हैं। इसमें नये काम भी जुड़ सकते हैं।
सालाना योजनाओं से हमें क्या लेना-देना।
आप सब तो ग्राम सभा के सदस्य हैं तो साल भर की कार्ययोजना बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इस कार्ययोजना में जो काम जिसके नाम पर ग्रामसभा मंजूर करेगी, पंचायत इसे अंतिम स्वीकृति के लिए जनपद पंचायत को भेजेगी।
बिटिया..काम कराने के लिये जनपद को क्या क्या भेजना होता है ?

काका, जिस जमीन पर काम करना है उसका नक्शा, खसरा और ग्रामसभा का प्रस्ताव, एक फाइल के साथ जनपद को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
फिर काम कैसे शुरु होता है ?
जनपद पंचायत उस कार्य में लगने वाली सामग्री और मजदूर के बारे में एस्टीमेट तैयार कराती है और उस पर इंजीनियर द्वारा तकनीकि स्वीकृति दी जाती है।
बिटिया तू ये बता कि काम पूरा कैसे होता है ?
जनपद से तकनीकी स्वीकृति के बाद पंचायत काम शुरु कराने की मंजूरी देती है और काम शुरु।....और पंचायत उसका मूल्यांकन भी कराती है।
इसका पैसा कहां से आता है रे छुटकी।
काका, केन्द्र अपना हिस्सा भेजती है एवं राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाती है फिर काम होता है।

केन्द्र और राज्य का अपना-अपना हिस्सा। बिटिया मैं कुछ समझा नहीं..
हाँ काका। अकुशल श्रमिकों की पूरी मजदूरी के साथ अर्द्धकुशल, कुशल मजदूरों एवं सामग्री आदि के खर्चों का तीन चौथाई खर्च केन्द्र सरकार देती है।
और राज्य सरकार।
बेरोजगारी भत्ता, अर्द्धकुशल एवं अकुशल मजदूरों के वेतन और सामग्री आदि के खर्च का एक चौथाई राज्य सरकार देती है।
बिटिया, इस योजना को चलाने के लिए राज्य, जिले में कर्मचारियों की तनख्वा का पैसा कौन देता है?
कुछ कर्मचारियों की तनख्वा, भत्ते एवं कार्य स्थल की सुविधाओं का खर्च भी केन्द्र सरकार देती है।
..और राज्य सरकार?
इस योजना को ठीक से चलाने के लिये राज्य स्तर पर गठित रोजगार गारंटी परिषद का प्रशासकीय खर्चा राज्य सरकार उठाती है।

काम के लिए भुगतान कैसे-कैसे होता है? हमें तो नही लगाना पड़ता?
नहीं काका! इन कामों के लिए जनपद और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत को 'मांग' के आधार पर पैसा देती जाती हैं।
छुटकी... बीच में तूने कहीं ग्रामसभा का नाम लिया था!
हाँ लिया तो था।
इस योजना में ग्राम सभा क्या-क्या करती है।
ग्रामसभा सब कामों पर नजर रखती है और सारे रिकार्ड की जाँच करके ऑडिट करती है।
इतना सब होता है इस योजना में।
पंचायत अलग-अलग काम के खर्चों की डाटा इन्ट्री कराती है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी कम्प्यूटर पर देख सकता है।

ये सब तो सुनने में अच्छा लगता है पर पिछले काम की मजदूरी तो अब तक नहीं मिली दो महीने हो गये हैं।
हाँ तभी तो लोग दूसरी जगह काम ढूँढने में लगे हैं मजदूरों को तो रोज कमाना रोज खाना है।
चाचा यदि काम करने के 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान ना हो तो उसके लिये भी हमें जनपद में सीइओ साब को आवेदन देना चाहिये।
काम का आवेदन दिए तो आठ दिए हो गए। अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली...
हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी। कल तो... रविवार है परसों हम सब पंचायत चलेंगे। मजदूरी के भुगतान के लिए आवेदन भी तो लगाना है।
रविवार को छुटकी ने सभी से बात करके मजदूरी के भुगतान के लिए सरपंच के नाम आवेदन लिखा। उसमें सभी के नाम, जॉब कार्ड संख्या लिखी और सबके हस्ताक्षर करवाए। और एक कॉपी जनपद कार्यालय के लिए भी बनाई...

सोमवार की सुबह...
सभी पंचायत कार्यालय पहुँचे तो देखा की दीवार पर सड़क का काम शुरु करने की सूचना लगी थी, इसमें काम करने वालों के नाम और जॉब कार्ड संख्या भी लिखी थी।
अरे वाह ..! काम शुरु हो गया...
वाह री छुटकी तू तो काम पक्का करके ही मानती है
सूचना

मैं नही काका, मनरेगा कानून। हमें कानून में दिए गए अपने अधिकारों की जानकारी रखना चाहिये। और इनका पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिये।
हाँ ये तो सही बात है।

चलिये ये तो अच्छा हुआ ... अब मजदूरी का आवेदन भी सचिव साब को दे देते हैं।
हाँ, हाँ चलो।
सभी पंचायत भवन के अंदर जाने लगे तभी सुखिया चाची और उनकी बस्ती के कुछ लोग हड़बड़ाते हुए आये...
बेटा हमारे जॉब कार्ड तो पंचायत में ही जमा हैं, हमें भी पिछले काम के पैसे नहीं मिले हैं।
अरे चाची, जॉब कार्ड तो अपने पास ही रखना चाहिये, आइए देखते हैं।

अब क्या हुआ जी, काम की सूचना नहीं पढ़ी क्या? शुरु तो हो रहा है कल से, फिर क्यों चली आई भीड़ की भीड़ .
हाँ जी, वो तो हमने देखा, लेकिन पिछले काम के पैसे कब मिलेंगे? ये तो बताओ। हम पिछली मजदूरी के भुगतान के लिये आवेदन लेकर आए हैं।
आप लोगों ने अच्छा तमाशा बना रखा है। हर दूसरे दिन चले आते हैं आवेदन लेकर। जब ऊपर से आएगा तभी तो देंगे पैसा
आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो हमें आवेदन तो देना ही पड़ेगा, कानून में लिखा है। यदि समय पर मजदूरी नहीं मिली तो मजदूर को मुआवजा पाने का हक है। और सुखिया काकी और उनके मोहल्ले के लोगों के जॉब कार्ड क्यों रख लिए हैं अपने पास? ऐसा तो कोई नियम है नहीं... बताइए।

ठीक है भुगतान जल्दी करवाते हैं। एक-दो दिन का समय तो लगेगा ही।
इसकी पावती तो दे दो और वो जॉब कार्ड भी।
अरे बेटा विश्वास करो। आप लोगों का भुगतान जल्दी ही हो जाएगा। अब आप चिन्ता न करो, उसने सबके जॉब कार्ड भी लौटा दिए।
यदि सरपंच, सचिव, सीईओ साहब रोजगार गारंटी के आवेदन ही न ले तो!
हाँ ये भी तो हो सकता है।
अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आवेदन न ले या जानबूझ कर देर करे तो इस कानून में उस पर जुर्माना लगेगा जो उसकी तनख्वा से काटा जायेगा
मुझे तो तभी भरोसा होगा जब हमें पिछले काम की मजदूरी मिल जायेगी।

लेकिन चाचा सब लोगों को मनरेगा कानून में मिले अधिकारों को जानना होगा और उनको उपयोग करने की हिम्मत रखनी होगी। इसमें बहुत सारे हक दिए हैं, जो मजदूरों की सहूलियत से जुड़े हैं।
जैसे...
जैसे, महिलाओं को काम देने में प्राथमिकता होगी। कुल मजदूरी दिवसों में एक तिहाई दिवस महिलाओं को मिलने चहिऐ
बेटा, हम बूढ़ों के लिये भी कुछ है इसमें ?
हाँ, काका बुजुर्गों और विकलांगों को भी उनकी क्षमता के अनुसार कम मेहनत वाले काम देने का प्रावधान है और वो भी गांव में।
पर जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। वो तो बच्चों को छोड़कर काम पर नहीं जा पाती हैं
उनको तो छोटे बच्चों को साथ लेकर काम पर जाना चाहिए

...काकी, पाँच साल से छोटे बच्चों के लिये काम की जगह पर झूला घर का इंतजाम भी जरूरी है इस कानून में। मजदूरों के लिये पीने का पानी, छाया और प्राथमिक उपचार की सुविधा भी जरूरी है।
पर बेटा, अब तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं।

चाचा, अपने अधिकारों को पाने के लिये हमें उसकी जानकारी रखना और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना जरूरी है। ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी कमजोरी का फायदा ले सकता है। मनरेगा में कौन-कौन से काम होंगे? कौन सा काम पहले होगा? और कौन सा बाद में, ये सब आप लोग ही तय कर सकते हैं। इसके लिए आप सबका ग्रामसभा की बैठकों में जाना जरूरी है।

आज ही यह संकल्प लें कि...
महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून
यानि मनरेगा को अच्छी तरह समझेंगे,
हम अपने अधिकारों का उपयोग करेंगें,
ग्रामसभा की बैठक में जरूर जाएंगे।

नोट

हमारे बारे में.....

समर्थन एक स्वैच्छिक व गैर सरकारी संगठन है जो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक प्रयासों के लिए सहयोगी संस्था के रूप में कार्यरत है। यह संगठन प्रशिक्षण, सूचनाओं तथा जानकारियों का आदान प्रदान, शोध एवं विचार विमर्श के माध्यम से स्वैच्छिक संस्थाओं, समुदाय व सरकार के बीच समन्वय स्थापित करता है।

वर्तमान में समर्थन स्थानीय स्तर पर स्वशासन एवं पंचायती राज व ग्राम स्वराज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने, सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य है कि जागरूक ग्राम सभाएं सक्रिय पंचायतों का गठन करें, जो अपने क्षेत्र के विकास में नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

इसी संदर्भ में संस्था ने एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसमें 'महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)' के क्रियान्वयन को लेकर एक सरल रूप में 'कॉमिक्स' का निर्माण किया है और रोचक ढंग से समझाने का प्रयास किया है।

मैं केवल कोरी कल्पना नहीं हूं
आप लोगों के साथ समस्याओं
को बांटना चाहती हूं मेरी जानकारी
अभी खत्म नहीं हुई..आगे भी
समस्याओं पर आपको अपने इसी
ढंग से जानकारी देती रहूंगी...

हां पर जब आप जानकारी मांगेंगे..
और दिक्कत आऐ, तो मुझसे संपर्क करें..।
मेरा पता है...

समर्थन

36 ग्रीन एवेन्यू , चूना भट्टी कोलार रोड , भोपाल- 4620 16
फोन -(0755) 4993147, 2467625
ई-मेल -info@samarthan.org, वेबसाइट - www.samarthan.org

फोन- (0755) 2424410

Design & Printed by : MSP OFFSET, Bhopal 9827298040